6.2.19 अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपील अपीलार्थी का कथन है कि अधी० न्यायालय ने बोर्ड अदालत में पारित एक तरफा के निर्णय पारित कर दिया है अपीलार्थी के पुत्र पास आवश्यक है अपील अपीलार्थी ने अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील प्रत्यर्थी का कथन है कि बोर्ड अदालत के निर्णय की अपील बाद नहीं बनती है इसी लिए अपील खारिज की जावे।

बहस पक्ष सुन लिया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधी० न्यायालय ने एक तरफा के निर्णय पारित किया है स्थ. अपील इस रूप में कि अधी० न्यायालय को पूर्ण प्रेषित की गई है कि अधी० न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधी० न्यायालय में दिनांक 11.3.19 को उप० होंगे। पत्रावली को फिलहाल मुख्य होकर कार्य के नाम की जावे एवं वाद वादीगण वकील दाखिल करावें। अग्रिम सुनवाई रखी।

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official